1. जिला
2. मुकुट सि... बून्दी, राज...
3. कैलाश ... बून्दी
4.

...-06-25

राज्य कार्यालय ... अन्य कार्य में व्यस्त ... अधिक कन्डोलेन्स पर है। अतः ... कार्यवाही हेतु दिनांक 25-06-25 पेश हों।

25-06-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस समाप्त पत्रावली की गई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 02-07-2025 को पेश हो।

02-07-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रशासनिक कार्य की व्यस्तता अधिक होने से निर्णय सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 09-07-2025 को पेश होवें।

09-07-25 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली ...बिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16-07-2025 को पेश हों। निर्णय सुनाया नहीं जा सका।

16-07-25 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण के नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

संख्या 35 / 2009
दायरा दिनांक 13.10.2009

बउनवान

1. रामनारायण पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. मुकुट पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
3. कैलाश पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. नैनगी पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
5. धापू पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
6. लाली पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
7. मधु पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–वादीगण

बनाम

1. कान्हा पिसरान बजरंग लाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. रामेश्वर पिसरान बजरंग लाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
3. महावीर पिसरान गोपाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. गीता पिसरान गोपाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
5. (डिलीट)सुखपाली बेवा गोपाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
7. शाखा प्रबंधक, बून्दी, चितौडगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुमेरगंजमंडी तहसील इन्द्रगढ़ **जिला बून्दी, राज0।**

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद पत्र बाबत् अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र रायका — अधिवक्ता वादी
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2
3. अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही) — प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7

दिनांकः—16.07.2025

निर्णय

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि ख0सं0 433 रकबा 0.62है0, ख0सं 434 रकबा 1.44है0, ख0सं0 435 रकबा 0.11है0, ख0सं0 436 रकबा 0.19है0, ख0सं0 437 रकबा 0.06है0, ख0सं0 438 रकबा 0.17है0, ख0सं0 439 रकबा 0.73है0, ख0सं0 440 रकबा 0.08है0, ख0सं0 441 रकबा 0.50है0, कुल किता 9 कुल रकबा 3.90है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। कृषिभूमि ख0सं0 334 रकबा 0.50है0, ख0सं0 336 रकबा 0.22है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषिभूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता0 5 के पूर्वज बजरंगा आ0 मोडू जाति माली की हैं। बजरंगा की मृत्यु हो चुकी है जिसका परिवारीक सजरा निम्न प्रकार है—

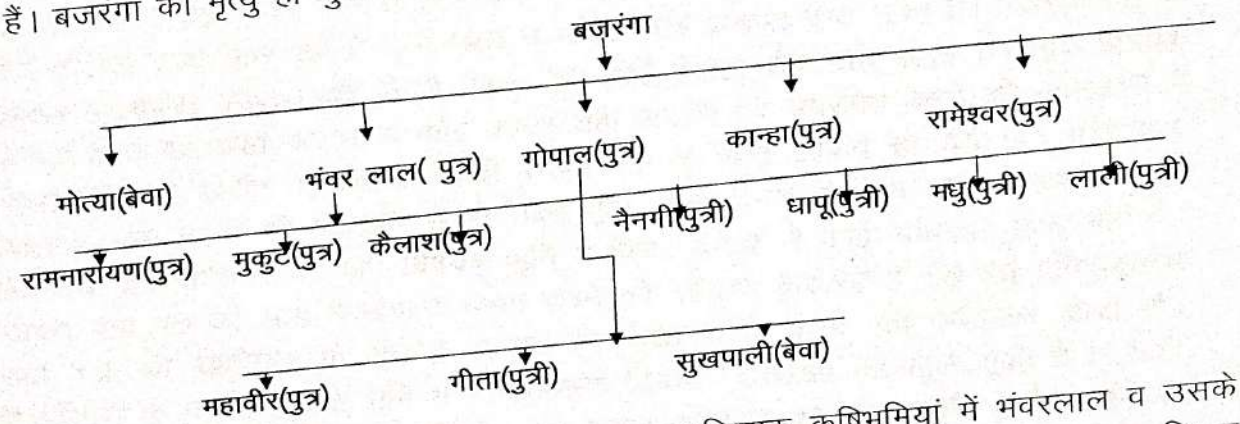

यह कि बजरंगा की छोडी हुई सम्पति की उक्त वादविषयक कृषिभूमियां में भंवरलाल व उसके वारिसान का हिस्सा 1/4, गोपाल व उसके वारिसान, कान्हा, रामेश्वर प्रत्येक का हिस्सा 1/4—1/4 निहित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बजरंगा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तथ्यों को छुपाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषिभूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमियों में बजरंगा के चारों पुत्रों का समान हक व अधिकार है तथा इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त के संबंध में कराये गए इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने तथा बजरंगा के समस्त उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी में दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने स्पष्ट मना कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

व उक्त भूमि के बैचान करने की धमकी दी यही वाद कारण है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त भूमियों में निहित अपने 1/4हिस्से का अपने आपको खातेदार घोषित करावे तथा विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा करवा कर अपना हिस्सा 1/4 प्राप्त करें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें। प्रतिवादी संख्या 3,4,5 गोपाल के वारिसान है जिन्होंने वादी बनना स्वीकार नहीं किया है इस कारण उन्हे वाद में प्रतिवादी बनाया गया है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त भूमि में 1/4हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1,2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु हो जाने एवं उसके कायम मुकाम पूर्व से ही वाद पत्र में पक्षकार होने से उनका नाम डिलिट किया गया। प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1,2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वाद विषयक भूमि प्रतिवादी संख्या 1,2 व उनकी माता मौत्या बाई के खाते में दर्ज है। बंजरंगा जी की मृत्यु होना व उनके चार पुत्र मंवरलाल, गोपाल, कान्हा, रमेश एवं मोत्या बाई का पत्नी होना स्वीकार है। भंवरलाल जी के जीवनकाल में ही फून्दा जाति माली निवासी खेडली तहसील इन्द्रगढ़ के गोद चले गए थे एवं अपना सम्पूर्ण अधिकार छोड गए थे तथा गोपाल बजरंगा जी के भाई चौथमल के गोद चला गया था एवं चौथमल की जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका है एवं उनकी भूमि पर बतौर मालिक काश्त कर रहा है तथा खाते में अपना नाम इन्द्राज करा चुका है। बजरंगा जी की भूमि पर भंवरलाल, गोपाल का किसी प्रकार का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। वाद विषयक भूमि पर दोनों का अर्सा कदीम से कोई कब्जा नहीं रहा है एवं उपरोक्त दोनों की जानकारी में बजरंगा की वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1,2 के खाते अंकित हो गयी है। भंवरलाल, गोपाल व अन्य बहनों की स्वीकृति से ही उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। वादीगण को वाद विषयक भूमि में किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण वाद पत्र की आड में जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1,2 को वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि में नामांतकरण दिनांक 20.06.89 को खुल चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्व से ही रही है। इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। बजरंगा की अन्य लडकियां क्रमशः गुलाब, गोपाली, रामकन्या, केला नुवासी एवं प्रेम है जो वर्तमान में जिन्दा है जिन्हे पक्षकार बनाए बिना वाद वास्ते बंटवारा प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में खुले नामान्तकरण को निरस्त करवाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में कथन किया कि वादविषयक भूमि खातेदार काउन्टर क्लेमकर्ता कान्हा व रामेश्वर की है। उक्त भूमि पर क्लेमकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है। ख0सं0 344, ख0सं0 326 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ जो क्लेमकर्ता व उनकी माता मोत्या बाई के नाम दर्ज है। गत कुछ समय से भंवरलाल जी के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रिसान क्लेमकर्तागण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से धमकिया देते है तथा मिथ्या आधारो पर क्लेमकर्तागण के विरूद्ध एक वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा जबरन कब्जा किया गया तो क्लेमकर्तागण को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नही है। काउक्टर क्लेमकर्ता प्रतिवादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें।

वादीगण ने जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वाद विषयक आराजी वादीगण व प्रतिवादी 1 लगायत 5 की पैतृक कृषिभूमि है मृतक खातेदार बजरंगा जी के नैसर्गिक पुत्र होने से उनके सभी चारों पुत्रों का समान अधिकार है यह कथन स्वीकार नहीं है कि उक्त भूमियों पर केवल प्रतिवादी संख्या 1,2 का ही कब्जा है। वादीगण स्व0 बजंरगा जी के पुत्र भवंरलाल जी के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1,2 के साथ संयुक्त कब्जे काश्त में होने से उनकी हैसियत संयुक्त खातेदार की है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3,4 प्रतिवादी संख्या 1,2 के साथ सहखातेदार की हैसियत से कब्जे काश्त में होने से आराजी पर उनका कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी पर काबिज रहने का अधिकार है इसलिए काउन्टर क्लेम मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रतिवादी इस काउन्टर क्लेम की आड में वादीगण के हक को मारना चाहते है और वाद विषयक भूमि से बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वाद कारण के अभाव में प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है। इस काउन्टर क्लेम में पूर्व खातेदार स्व0 बजरंगा आ0 मोडू की पुत्रियां प्रेम, गुलाब, रामनिवासी, गोपाली, रामकन्या, कैला बाई तथा स्व0 गोपाल की पुत्री मधु आवश्यक पक्षकार है जिन्हे प्रतिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है। वादीगण सहखातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है जिनके विरूद्ध कब्जा मुखालफाना का सिद्धान्त लागू नहीं होने से काउन्टर क्लेम विरूद्ध वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अन्त में प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में वादीगण के साक्ष्य करवाए गए। वादीगण ने पी0डब्लू 1 मुकुट पुत्र भंवरलाल, पी0डब्लू 2 रामनारायण आ0 भवंरलाल, पी0डब्लू 3 गंगाबिशन पुत्र भैरू, पी0डब्लू 4 पप्पू नायक पुत्र मदन के बयान करवाये जिनसे प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई जिरह लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली की गई। वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नामांतकरण संख्या 12 ग्राम शेरगढ तहसील पीपल्दा जिला कोटा जो प्रदर्श–1 है, नामांतकरण संख्या 19 ग्राम शेरगढ तहसील पीपल्दा जिला कोटा प्रदर्श–2 है, नकल जमावंदी सम्वत् 2051–54 खाता संख्या 36 वाके ग्राम शेरगढ तहसील पीपल्दा जो प्रदर्श–3 है, नकल जमावंदी सम्वत् 2062–65 खतौनी संख्या 13 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 09 ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ प्रदर्श–5, नकल जमावंदी सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 46 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ प्रदर्श–6, नकल जमावंदी सम्वत् 2044–47 खाता संख्या 30 वाके ग्राम मुई प्रदर्श–7, नकल नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 30.04.1990 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ प्रदर्श–8, नकल नामांतकरण संख्या 19 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

06.1989 ग्राम मुई प्रदर्श–9 है। प्रतिवादीगण की तरफ से डी डब्लू 1 कान्हा आ0 बजरंगलाल, ी0डब्लू 2 रामविलास आ0 धन्नालाल, डी0डब्लू 3 रामनिवास आ0 भैरूलाल के साक्ष्य शपथ पत्र श किए जिनके बयान करवाये जिनसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई जो लेखबद्ध कर ामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराव करते हुए कथन किया कि वाद विषयक भूमियां ग्राम इन्द्रगढ़ व मुई मे स्थित है। उक्त कृषिभूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता0 5 के पूर्वज बजरंगा आ0 मोडू जाति माली की हैं। बजरंगा जी की उक्त वादविषयक कृषिभूमियां में भंवरलाल व उसके वारिसान, गोपाल व उसके वारिसान, कान्हा, रामेश्वर प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 निहित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बजरंगा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तथ्यों को छुपाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषिभूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमियों में बजरंगा के चारों पुत्रों का समान हक व अधिकार है तथा इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण उक्त भूमियों पर सहखातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है प्रतिवादी संख्या 1,2 राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को बैचान करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3,4 प्रतिवादी संख्या 1,2 के साथ सहखातेदार की हैसियत से कब्जे काश्त में होने से आराजी पर उनका कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी पर काविज रहने का अधिकार है इसलिए काउन्टर क्लेम मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किया जावे। इस काउन्टर क्लेम में पूर्व खातेदार स्व0 बजरंगा आ0 मोडू की पुत्रियां प्रेम, गुलाब, रामनिवासी, गोपाली, रामकन्या, कैला बाई तथा स्व0 गोपाल की पुत्री मधु आवश्यक पक्षकार है जिन्हे प्रतिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे व वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को 1/4हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उसके हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD jan, 2008 Page no 2, RRD 1983 Page no 310, RRD 1995 Page no 430, RRD 1995 Page no 556, AIR 2002 178 ORI पेश किए।

प्रतिवादी संख्या 1,2 ने वादीगण अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वादविषयक आराजी के प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है। बंजरंगा जी की मृत्यु होना व उनके चार पुत्र भंवरलाल, गोपाल, कान्हा, रमेश एवं मोत्या बाई का पत्नी होना स्वीकार है। भंवरलाल जी उनके जीवनकाल में ही फून्दा जाति माली निवासी खेडली तहसील इन्द्रगढ़ के गोद चले गए थे तथा गोपाल बजरंगा जी के भाई चौथमल के गोद चला गया था एवं चौथमल की जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका है। गोपाल बजरंगा जी के भाई चौथमल के गोद चला गया था एवं चौथमल की जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका है। उपरोक्त दोनों की जानकारी में बजरंगा की वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1,2 के खाते अंकित हो गयी है। भंवरलाल, गोपाल व अन्य बहनों की स्वीकृति से ही उक्त भूमि प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Page No:-5

नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। वादीगण को वाद विषयक भूमि में किसी प्रकार से ोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भंवरलाल, गोपाल व उनके वारिसान वाद विषयक भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि में नामांतकरण दिनांक 20.06.89 को खुल चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्व से ही रही है। इस प्रकार वादीगण का वाद अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। बजरंगा की अन्य लडकियां क्रमशः गुलाब, गोपाली, कन्या, केला, रामनिवासी एवं प्रेम है जिन्हे पक्षकार बनाए बिना वाद वास्ते बंटवारा प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में खुले नामान्तकरण को निरस्त करवाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Moreshar Yadaorao Mahajan vs Vyankatesh Sitaram Bhedi(D) Tr. Lrs. On 27Sept. 2022, RRD 1997 Page no 108, RRT 2012(1) Page no 673 पेश किए।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के बयानों का आवलोकन किया गया। अब हम तनकीवार निर्णय की ओर अग्रसर होते है जो निम्न प्रकार है-

1. आया वादीगण को अधिकार है कि वह पत्र की चरण संख्या 1,2 में वर्णित आराजी के 1/4हिस्से का खातेदार घोषित हो तथा तदानुसार बंटवारा करावें?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी के प्रकाश में दस्तावेज प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 का अवलोकन किया गया जिससे से जाहिर आता है कि वाद विषयक कृषिभूमि खसरा संख्या 433 लगायत 441 कुल किता 9 कुल रकबा 3.90है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ एवं खसरा संख्या 334, 336 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ भूमि के पूर्व खातेदार बजरंगा पुत्र मोडू जाति माली थे। बजरंगा पुत्र मोडू वादीगण व प्रतिवादी 3,4 के दादाजी व प्रतिवादी संख्या 1,2 के पिता है। गवाह पी0डब्लू 1 ने अपने बायानों में यह कथन किया है कि बजरंगा जी ने यह विवादित जमीन वर्ष 1964 में खरीदी थी। बंजरंगा जी की मृत्यु के उपरान्त कान्हा के नाम नामांतकरण खुला था तब मेरे पिताजी जिन्दा थे किन्तु उन्हे पता नहीं चला। वाद विषयक भूमि पर वादीगण का कब्जा भी है यह कहना गलत है कि रामेश्वर कान्हा के नाम जो इन्तकाल खुला है वह बहनों की सहमति से खुला था। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज प्रदर्श–8, 9 के अवलोकन से जाहिर आता है कि ग्राम मुई में स्थित वाद विषयक भूमि पर नामांतकरण संख्या 19 दिनांक 28.06.1989 के द्वारा कान्हा, रामेश्वर आ0 बजरंगा व मु0 मोत्या बेवा बजरंगा का नाम दर्ज किया गया है तथा ग्राम इन्द्रगढ़ में स्थित वाद विषयक भूमि पर नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 30.04.1990 से कान्हा, रामेश्वर व मोत्या बेवा बजरंगा जाति माली का नाम दर्ज किया गया है। उभपक्षकरान के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि मूल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Page No:- 6

खातेदार बजरंगा जी के 4 लडके रामेश्वर, कान्हा, भंवरलाल, गोपाल है तथा उनके 6 पुत्रियां गुलाब, गोपाली, रामकन्या, केला, रामनिवासी, प्रेम है। वादीगण ने अपने बयानो में यह कथन किया है भुआजी पिता की जमीन में हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 क्रमशः नकल नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 25.05.1989 व नकल नामांतकरण संख्या 19 दिनांक 08.06.1992 के अवलोकन यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार बजरंगा की ग्राम शेरगढ भू0अभि0नि0क्षेत्र ढीपरी तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित खातेदार अधिकार की कृषिभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बजरंगा जी की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान चार पुत्र भवंरलाल, गोपाल, कान्हा, रामेश्वर व 5 पुत्रियां गुलाब, गोपाली, केला, कन्या, रामनिवासी व पत्नी मोत्या के नाम फौती इंतकाल खौला गया हैं इस प्रकार यह साबित है कि उक्त सभी बजरंगा जी के विधिक वारिसान है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में यह कथन किया है कि बजरंगा जी के पुत्र भंवरलाल उनके जीवनकाल में ही श्री फून्दा जाति माली के गोद चले गए थे तथा पुत्र गोपाल बजरंगा जी के भाई चौथमल के गोद चले गए थे इसलिए बजरंगा जी की इस वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा पत्रावली में अपने उक्त कथनों को साबित करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों को साबित करने बाबत मौखिक गवाह पेश किए है जिनके द्वारा अपने बयानों भंवरलाल, गोपाल का अन्य किसी के गोद जाने बाबत अस्पष्ट कथन किए है जो प्रमाणित नहीं माने जा सकते है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के अन्य आक्षेप में यह अंकित किया है कि बजरंगा जी की लडकियां गुलाब, गोपाली, रामकन्या, केला, नुवासी, प्रेम को वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है जिन्हे पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त कथन से यह साबित होता है कि बजरंगा जी की उक्त पुत्रियां उनकी सम्पत्ति में विधिक वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों द्वारा ही बजरंगा जी की उक्त पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है उनके द्वारा उनके संबंध में यह कथन किया है कि वे उनके पिता बजरंगा जी की उक्त वादविषयक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं लेने बाबत सहमत है किन्तु उनके द्वारा बजरंगा जी की पुत्रियों द्वारा उनके पक्ष में की गई सहमति बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जो इस कथन को साबित कर सके। उक्त सभी दस्तावेजात व गवाह बयानों के मध्य नजर यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा जो वाद पत्र में सजरा पेश किया है वह सही नहीं है उन्होने बजरंगा जी पुत्रियों का नहीं दर्शाया है जबकि वे भी उनकी सम्पत्ति में बराबर हक अधिकार रखती हैं। पक्षकारान माली जाति से है उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि बजरंगा जी की पत्नी मोत्या की मृत्यु हो चुकी है। मृतक पुत्र गोपाल की पुत्री मधु है। बजरंगा जी की पुत्री गुलाब की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान पुत्र शम्भू, रमेश व पुत्री संतोष है, बजरंगा जी की पुत्री गोपाली की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान पुत्र भैरू, विष्णु व पुत्री लक्ष्मी है। बजरंगा जी की शेष जीवित 4 पुत्रियां प्रेम, [redacted] रामनिवासी, रामकन्या, कैला बाई है। बजरंगा जी की बेवा मोत्या की मृत्यु हो जाने से पूर्व खातेदार मृतक बजरंगा जी की उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में 10 विधिक वारिसान है जिससे उनकी इस वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/10 हिस्सा निहित है। वादीगण द्वारा स्वयं का हिस्सा 1/4 बताया गया है जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। प्रश्नगत भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार(संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश, जो उन्हे तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा। उक्तानुसार हमारे मत में वादीगण वाद विषयक कृषिभूमि में खातेदार अधिकार पाने का हकदार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत S.B. Civil Writ Petition no 2926 Rawata & anr. Vs Jagmal & ors. में दिनांक 10.10.2007 को पारित निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Minors are the co-sharers and entitled to share each in th disputed land& Cultivatory possession Since logn will not affect tht right and title of other co&sharers- Mutation is fiscal proceedings- Mutation entry in Jamabandi would not make his possession over the disputed property adverse to that of the defendant- Suit of plaintiff-respondents is not barred by limitation without actual possession-Co-sharers can claim their rights to get the land partitioned and claim possession therof." उक्त न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा होते है। इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया वादीगण विवादित आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है?**
इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1,2 पर था। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में साबित होने से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि है जिस पर उनकी हैसियत सहकाश्तकार की है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किए है जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण जबरन प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो। वादीगण प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार साबित होने से उनका कब्जा विवादित भूमि के प्रत्येक भाग माना जाएगा। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1,2 के विरूद्ध तय की जाती है।

3. **आया आवश्यक पक्षकार की अभाव में काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है?**
इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित करने में कायमयाब रहे है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में आवश्यक पक्षकारों पार्टी नहीं बनाया है। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में होने से प्रतिवादी द्वारा सहखातेदार वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई जो कानूनन रूप से उचित नहीं होने से प्रतिवादीगण यहां स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी वादीगण के पक्ष आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

आया भंवरलाल व गोपाल के वारिसान सहखातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है?
तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। प्रश्नगत आराजी मृतक बजरंगा आ0
जाति की खातेदार अधिकार की कृषिभूमि है। भंवरलाल व गोपाल मृतक बजरंगा के पुत्र
जिनकी मृत्यु हो चुकी है। चूंकि वादीगण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से तनकी संख्या 1
अपने पक्ष में साबित करने में कामयाब रहे है जिससे यह तथ्य सुस्पष्ट है कि भंवरलाल
गोपाल वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार बजरंगा के विधिक वारिसान है तथा हिन्दू
उत्तराधिकार(संशोधन) अधिनियम 2005 अनुसार पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का
अंश, जो उन्हे तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र
या पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा। उक्तानुसार भंवरलाल के
वारिसान वादीगण व गोपाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3,4 सहखातेदार की हैसियत
काबिज है तथा प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच हिस्से पर कब्जा माना जाता है।
अतः उक्तानुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. अनुतोष।

हस्तगत प्रकरण में वादीगण अपने हक तनकी संख्या 1,3,4 साबित करने में सफल रहे है किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में मूल खातेदार बजरंगा आ0 मोडू की पुत्रियों व मृतक पुत्र, पुत्रियों के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जबकी वे सभी हितबद्ध है जिन्हे पक्षकार बनाए बिना विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाना कानूनन उचित नहीं है। बजरंगा जी की मृत्यु के बाद जो वाद ग्रस्त कृषिभूमि खाता संख्या 9 वाके ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ तथा खाता संख्या 30 वाके ग्राम 'मुई तहसील इन्द्रगढ़ पर प्रतिवादी संख्या 1,2 व मोत्या बेवा बजरंगा के नाम जो नामांतकरण तस्दीक किया गया है वह कानूनन उचित प्रतीत नहीं होता है। बजरंगा जी के अन्य वारिसान जीवित थे किन्तु तत्समय वादग्रस्त भूमि के नामांतकरण में उनके दो पुत्र एवं बेवा मौजूद होने का अंकन किया हुआ है। वाद विषयक भूमियों के उक्त नामांतकरण में बजरंगा जी के अन्य वारिसान की सहमति बाबत कोई नोट का अंकन नहीं है जिससे प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा किया गया कथन कि उक्त दोनों नामांतकरण शेष वारिसान की सहमति से खुले है, साबित नहीं होता है। वादीगण यहां स्वयं को 1/10हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण अपने हक की तनकीयों को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक गवाहो से साबित करने में असफल रहे है अतः वे यहां किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

आदेश

अतः प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विरूद्ध वादीगण खारिज किया जाता है तथा वादीगण के हक की तनकी संख्या 1,3,4 का निर्णय वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद विषयक आराजी कृषिभूमि ख0सं0 433 रकबा 0.62है0, ख0सं 434 रकबा 1.44है0, ख0सं0 435 रकबा 0.11है0, ख0सं0 436 रकबा 0.19है0, ख0सं0 437 रकबा 0.06है0, ख0सं0 438 रकबा 0.17है0, ख0सं0 439 रकबा 0.73है0, ख0सं0 440 रकबा 0.08है0, ख0सं0 441 रकबा 0.50है0, कुल किता 9 कुल रकबा 3.90है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 तथा कृषिभूमि ख0सं0 334 रकबा 0.50है0, ख0सं0 336 रकबा 0.22है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वादीगण 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/10हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3,4, मधु पुत्री गोपाल को संयुक्त रूप 1/10हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 कान्हा, प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर, मृतक गुलाब पुत्री बजरंगा के वारिसान, मृतक गोपाली पुत्री बजरंगा के वारिसान , कैला पुत्री बजरंगा, रामकन्या पुत्री बजरंगा, रामनिवासी पुत्री बजरंगा, प्रेम पुत्र बजरंगा प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि बजरंगा की मृतक पुत्र/पुत्रियो के वारिसान की जांच उपरान्त उनका नाम जमाबंदी में नियमतः मृतक पुत्र/पुत्रियों के निहित हिस्से में अंकित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1,2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद विषयक कृषिभूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर वादीगण के निहित 1/10हिस्से का रहन, बैचान एवं किसी प्रकार से हस्तानान्तरण नहीं करें। जमांबदी में अंकित रहन संबंधी इन्द्राज जमाबंदी के जिस सहखातेदार द्वारा बैंक से रहन किया गया उसी के हिस्से में अंकित किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगें। तदानुसार डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.जज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी.....व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

1. रामनारायण पिसरान भंवरलाल बनाम जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. मुकुट पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0। वगै0

—वादीगण

1. कान्हा पिसरान बजरंग लाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. रामेश्वर पिसरान बजरंग लाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0। वगै0

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट

सन् .....

मुकदमा नम्बर 35/दावा/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....हमारे.....व हाजिरी वादीगण अधिवक्ता श्री महेन्द्र रेबारी .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 1,2 अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि –

प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विरूद्ध वादीगण खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी कृषिभूमि ख0सं0 433 रकबा 0.62है0, ख0सं 434 रकबा 1.44है0, ख0सं0 435 रकबा 0.11है0, ख0सं0 436 रकबा 0.19है0, ख0सं0 437 रकबा 0.06है0, ख0सं0 438 रकबा 0.17है0, ख0सं0 439 रकबा 0.73है0, ख0सं0 440 रकबा 0.08है0, ख0सं0 441 रकबा 0.50है0, कुल किता 9 कुल रकबा 3.90है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 तथा कृषिभूमि ख0सं0 334 रकबा 0.50है0, ख0सं0 336 रकबा 0.22है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वादीगण 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/10हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3,4, मधु पुत्री गोपाल को संयुक्त रूप 1/10हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 कान्हा, प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर, मृतक गुलाब पुत्री बजरंगा के वारिसान, मृतक गोपाली पुत्री बजरंगा के वारिसान , कैला पुत्री बजरंगा, रामकन्या पुत्री बजरंगा, रामनिवासी पुत्री बजरंगा, प्रेम पुत्र बजरंगा प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि बजरंगा की मृतक पुत्र/पुत्रियो के वारिसान की जांच उपरान्त उनका नाम जमाबंदी में नियमतः मृतक पुत्र/पुत्रियों के निहित हिस्से में अंकित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1,2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद विषयक कृषिभूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर वादीगण के निहित 1/10हिस्से का रहन, बैचान एवं किसी प्रकार से हस्तानान्तरण नहीं करें। जमांबदी में अंकित रहन संबंधी इन्द्राज जमाबंदी के जिस सहखातेदार द्वारा बैंक से रहन किया गया उसी के हिस्से में अंकित किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....का अदा करें।

..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 16 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा	
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी	
3.स्टाम्प दजह सबूत			3.महनताना वकील	
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन	
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर	
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफर्रिक	
मीजान			मीजान	

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

बउनवान

3. कैलाश पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. नैनगी पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
5. धापू पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
6. लाली पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
7. मधु पिसरान भंवरलाल जाति माली निवासीगण खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

बनाम

3. महावीर पिसरान गोपाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. गीता पिसरान गोपाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
5. (डिलीट)सुखपाली बेवा गोपाल जाति माली निवासी खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
7. शाखा प्रबंधक, बून्दी, चितौडगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुमेरगंजमंडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)